सत्यमेव जयते

प्रगति के 4 वर्ष

वन विकास के बढ़ते कदम

आओ मिलकर वृक्ष लगायें। पर्यावरण को शुद्ध बनायें।।

दूरदृष्टि:

उपलब्ध वन एवं वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण एवं जनसहभागिता से इनका विकास।
राज्य मं पारिस्थितिकीय संतुलन के माध्यम से पर्यावरणीय स्थायित्व कायम करना।
प्रदेशवासियों को वानिकी क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफलों से लाभान्वित करना।

लक्ष्य:

- टिकाऊ वन प्रबन्धन
- वन एवं वृक्ष आच्छादन में वृद्धि
- जैव-विविधता एवं जीन पूल का संरक्षण।
- मरुस्थलीकरण की रोकथाम।
- सूखे से निजात।
- परिभाषित वन एवं बंजर भूमि की उत्पादकता में वृद्धि।
- निर्धन एवं पिछड़े लोगों को जीविकोपार्जन सुरक्षा प्रदान करना।
- वन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना।
- पारिस्थितिकीय-पर्यटन को बढ़ाना।

रणनीति :

- विस्तृत वनीकरण एवं चारागाह विकास:
- वृक्षावली-वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम
- जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा-स्थान एवं बाह्य-स्थान संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनिकी अपनाना।
- प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरांत पुन: वृक्षारोपण।
- भूमिगत जल-स्तर-अभिवृद्धि हेतु वर्षा-जल-संग्रहण पर जोर।
- प्रकृति-पर्यटन स्थलों के चिन्हीकरण उपरांत विकसित कर उन्हें विरासत-पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तिकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना।

वन विभाग, राजस्थान
दिसम्बर, 2017

वन विकास के 4 वर्ष : एक दृष्टि में

नीतिगत निर्णय

- वन अधिनियम 1953 में संशोधन करके छोटे अपराधों के लिये जुर्माना राशि 25,000 रू. से घटाकर 500 रू. की गई।
- वन क्षेत्र से बाहर पाये जाने वाले बिलायती बबूल (Prosopis juliflora) से निर्मित चारकोल के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.05.2016 से पटवारी, तहसीलदार तथा एसडीएम को ट्रांजिट पास जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।
- पूर्व में लघु वन उपज परिवहन करने पर प्रतिबंध होने के कारण आदिवासियों को अपनी वन उपज बिचौलियों को बेचनी पडती थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2015 को महत्वपूर्ण निर्णय लेकर 26 प्रकार की लघु वन उपज को अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर एवं अनुसूचित क्षेत्र से किसी भी साधन से परिवहन करने हेतु राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 के अन्तर्गत परिवहन अनुज्ञापत्र की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है, जिससे आदिवासी लघु वन उपज का परिवहन कर कहीं भी खुले बाजार में बेच सकते है।
- राज्य में कृषि वानिकी को बढावा देने के लिए 29 वृक्ष प्रजातियों को ट्रान्जिट पास (TP) की अनिवार्यता से अधिसूचना क्रमांक एफ.15(33)वन/98 दिनांक 28.04.2017 द्वारा मुक्त कर राज्य के कृषको को राहत प्रदान की गई।

अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियां वनीकरण

- राजस्थान के वृक्षाच्छादित क्षेत्र को बढाने एवं राज्य के मौजूदा वन क्षेत्रों के वनावरण में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2014 से अब तक कुल 2.23 लाख है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया।
- वन, पंचायत, राजकीय एवं पडत भूमि पर विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत 930.62 लाख पौधे रोपित।
- जन सामान्य विशेषकर कृषकों को उनकी निजी भूमि पर रोपित करने हेतु रियायती दर पर लगभग 450 लाख पौधे वितरित किये गये।
- स्वयंसेवी संस्थाओ एवं सरकारी विभागो को 1 रू. की दर से पौधे उपलब्ध कराये गये।
- विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण के फलस्वरूप राज्य में चराई के दबाव के बावजूद 2013 से 2015 के बीच वृक्षाच्छादित क्षेत्र में India State of Forest Report-2015 के अनुसार 85 वर्ग कि.मी. वृक्षाच्छादित क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई है।
- नोलक्खा किला स्मृति वन, झालावाड रू. 122.25 लाख की लागत से विकसित किया जा चुका है।
- अजमेर में जयपुर-पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर 20 है0 क्षेत्र में हर्बल गार्डन विकसित किया गया है
- सीकर जिले में 783.36 लाख रू. की लागत से स्मृति वन सीकर का विकास किया गया है।
- चूरू जिले में जी.एल.आई. वनखण्ड के 22 हैक्टर क्षेत्र में 8.73 करोड रू. की लागत से चूरू नेचर पार्क का विकास किया जा रहा है।
- उदयपुर में गोवर्धन सागर तालाब के पास स्थित वन भूमि पर नगर निगम उदयपुर द्वारा उपलब्ध करायी गई रू. 46.32 लाख की राशि से स्मृति वन विकसित किया जा कर आम जन के उपयोग हेतु खोल दिया गया है।

नगर वन उधानों का विकास

राज्य के चार जिलों कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं जयपुर शहर में स्थित वन भूमि पर हरियाली विकसित कर आम जनता को शुद्ध पर्यावरण एवं भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नगर वन उद्यान विकसित किये जा रहे है :-

जिला	स्थान	लागत
जयपुर	बीड मुहाना	रू. 136 लाख
उदयपुर	चीरवाघाटा	रू. 160 लाख
कोटा	भदाना	रू. 60 लाख
अजमेर	महुआबीड	रू. 150 लाख

जे.एल.एन मार्ग जयपुर में स्थित स्मृति वन की तर्ज पर निम्न स्मृति वन विकसित किये जा रहे है :-

बांसवाडा	-	त्रिपुरा सुन्दरी	-	रू.	46.75 लाख
भीलवाडा	-	भरखामाता	-	रू.	25.00 लाख
बारां	-	शाहबाद किला	-	रू.	23.92 लाख
बाडमेर	-	बाडमेर हिल्ली	-	रू.	296.00 लाख
जालौर	-	सुंधामाता	-	रू.	181.18 लाख

- राजसमन्द जिले में अन्नपूर्णामाता वन क्षेत्र का सौन्दर्यकरण रू. 45 लाख की लागत से किया जा रहा है।

बडे पौधों की तैयारी (Raising of Tall plants)

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु बडे पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु इस वर्ष 2 करोड रू. की राशि का प्रावधान 25 लाख बडे पौधे तैयार करने हेतु राज्य बजट में विशेष तौर से फार्म फोरेस्ट्री अन्तर्गत रखा गया है तथा 25 लाख पौधों की तैयारी प्रारम्भ की गयी है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओ में 49 नई नर्सरियां स्थापित कर 150 लाख बडे पौधों की तैयारी प्रारम्भ की गई है। आगामी वर्षा ऋतु में 1.50 लाख बडे पौधे उपलब्ध हो जायेगें।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

- प्रथम चरण के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा 6634 कार्य परकोलेशन टेंक, कंटूर ट्रेंच, डीप सीसीटी, फॉर्म पोंड एवं चेक डेम इत्यादि के करवाये गये।
- वन विभाग द्वारा विभिन्न जल संरचनाओं पर 25 लाख पौधों के लक्ष्य के विरूद्ध 28 लाख पौधे रोपित किये गये। जिसकी प्रशंसा मा0 प्रधानमंत्री द्वारा ''मन की बात'' कार्यक्रम में भी की गई।
- द्वितीय चरण अन्तर्गत विभाग द्वारा 16427 कार्य करवाये जाकर 62.12 लाख पौधे लगाये गये इन कार्यो में 853 वृक्षाकुजों की स्थापना भी सम्मिलित है। यह अभियान शहरी क्षेत्रों में भी MJSA (Urban) के नाम से प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत विभाग द्वारा 31 जिलो के 56 शहरो में 69 कार्य पौधारोपण एवं जल सरंक्षण के 1227 है0 क्षेत्र में कराये गये है।
- वन क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों जल संग्रहण क्षमता बढाने व हरियाली बढाने हेतु 17 जिलों यथा अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बांरा, कोटा, झालावाड़, चितौड़गढ, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं सिरोही में रु.157 करोड़ लागत की नाबार्ड वित पोषित योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक 16400 हेक्टर में कार्य पूर्ण।

वन्यजीव प्रबन्धन एवं प्रकृति पर्यटन का विकास

- उदयपुर में सज्जनगढ बायोलोजिकल पार्क, जयपुर में नाहरगढ जूलोजिकल पार्क एवं जोधपुर में माचिया बायोलोजिकल पार्क का निर्माण कराया गया।
- जलाऊ लकडी के लिये संरक्षित वनों पर निर्भरता कम करने एवं महिलाओं को चूल्हे के धुएँ से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने हेतु ''जलाऊ लकडी मुक्त ग्राम योजना'' (*Fuel Wood Free Village Scheme*) टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में 50,365 गैस कनेक्शन अनुदान पर दिये गये।

- राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढोत्तरी हुई है, इनके संरक्षण के लिए देश में प्रथम बार पेन्थर परियोजना लागू की गई। झालाना पेन्थर क्षेत्र को 15.00 करोड रू. व्यय कर विकसित किया जा रहा है।
- झालाना वन क्षेत्र में पर्यटक भ्रमण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
- आमेर जिला जयपुर में हाथी गांव का विकास किया गया है।
- राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2 अन्तर्गत वन्य जीवों के स्थानीय जर्म प्लाज्म संरक्षण हेतु एन्क्लोजर्स का निर्माण किया गया है। चौसिंगा संरक्षण के लिए सीतामाता एवं कुम्भलगढ वन्यजीव अभयारण्य तथा गोडावण के संरक्षण के लिए डी.एन.पी. जैसलमेर मे कार्य किये जा रहे है।
- रणथम्भौर, सरिस्का एवं केवलादेव संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधा हेतु ऑन लाइन बुकिंग कार्य Rajcomp के माध्यम से प्रारम्भ किया गया है। पर्यटकों को **e-mitra** के माध्यम से भी बुकिंग सुविधा उपलब्ध है।
- बागदडा क्रोकोडाइल क्षेत्र में राशि रू0 1.00 करोड की लागत से पर्यटन विकास के कार्य करवाये गये तथा उक्त क्षेत्र को आम जन हेतु खोल दिया गया है।
- राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में नौकायन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में नौकायन का कार्य प्रारंभ किया गया है।
- पर्यटकों के भ्रमण हेतु ईको-ट्यूरिज्म साईटस मैनाल एवं हमीरगढ (भीलवाडा), पंचकुण्ड (अजमेर), बस्सी एवं सीतामाता (चित्तौडगढ), सुंधामाता (जालौर), गुढाविश्नोई (जोधपुर), मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैंसरोडगढ को पर्यटकों के लिए खोला गया है।
- आम जन में वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिये उस जिले में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण वन्यजीव को आदेश दिनांक 17.02.2016 से शुभंकर बनाया गया है।
- बीकानेर जिले में 25 करोड रूपये की लागत से मरूधरा बायोलोजिकल पार्क का कार्य प्रगतिरत है वर्ष 2017-18 में रू. 350 लाख के विकास कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है।
- विभिन्न योजनाओ के अन्तर्गत वन्यजीवों की सुरक्षा, वन सवंर्धन एवं विकास हेतु वन क्षेत्रो की सीमा पर 514.8 किमी. पक्की दीवार का निर्माण कराया गया है।
- वन धन योजना वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्यजीव तथा वनों की सुरक्षा के लिए रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर, माउंटआबू, कुंभलगढ वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जवाई **conservation reserve** में **pilot basis** पर वन धन योजना लागू की गई है।
- घायल वन्यजीवों के तात्कालिक उपचार हेतु राज्य में 11 रेस्क्यू सेंटर्स का निर्माण करवाया गया।
- रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु एस.टी.पी.एफ. की तैनाती की गई है।
- अनुसंधान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये वन्यजीव संभाग में प्रथम बार 7 इन्टर्नस को नियुक्त किया गया है।
- केन्द्रीय सहायता से गोडावण (Great India Bustard) के संरक्षण हेतु जैसलमेर में एक कन्जरवेशन ब्रीडिंग सेन्टर स्थापित किया जायेगा, जिसकी साईट के चयन के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को बुलाया जाकर विचार विमर्श किया गया है। गोडावण के संरक्षण हेतु मरू राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य मे क्लोजर बनाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह कार्य 4 हजार हैक्टेयर में सम्पादित किया जायेगा, जिसकी अनुमानित लागत 60.76 करोड होगी, जिसमें से 2.00 करोड की राशि 2017-18 मे व्यय की जा रही है।
- जैसलमेर में स्थित आकल क्षेत्र में फौसिल्स के रख रखाव एवं ईको-ट्यूरिज्म के लिये 10.90 करोड की योजना स्वीकृत की गई है।

साझा वन प्रबन्धन सुदृढीकरण

- ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजनान्तर्गत (RFBP Phase-2) 650 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति (VFPMC) गठित। इन समितियों के माध्यम से 70126 महिला सदस्य 10195 अनुसूचित जाति महिला सदस्य तथा 32843 अनुसूचित जनजाति महिला सदस्य तथा 88609 पुरूष सदस्य 13419 अनुसूचित जाति पुरूष सदस्य तथा 40469 अनुसूचित जनजाति पुरूष सदस्य लाभान्वित हुए है। परियोजना फेज-2 अन्तर्गत 213.42 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।
- 1905 स्वयं सहायता समूहों (SHG) का गठन एवं उनका दक्षता बढाने का कार्य किया जा रहा है।
- 37.40 लाख क्विटंल घास एवं 9.22 लाख क्विटंल लघुवन उपज स्थानीय निवासियो को वन सुरक्षा समितियो के माध्यम से निशुल्क उपलब्ध कराई गई।
- बॉस विदोहन से 36.74 लाख रू. का शुद्ध लाभ वन सुरक्षा समितियो को दिया गया।

मानव संसाधन विकास

- वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभाग में अधीनस्थ वनकर्मियों की अत्याधिक कमी महसूस की जा रही थी, जिसे दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा अपने स्तर पर 151 वाहन चालकों, 2521 वनरक्षकों, 300 वनपालों तथा 46 सर्वेयरों की नई भर्ती की गई।
- 311 मृतक आश्रित व्यक्तियों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान की गयी।
- 38 सहायक वन संरक्षक गण को प्रशिक्षण उपरान्त नियुक्ति दी गई।
- राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के 160 कर्मियों तथा मंत्रालयिक सेवा के 212 कर्मियों को पदोन्नति दी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी

- वृक्षारोपण कार्यो की **Geo Referencing**
- विभाग द्वारा विभागीय कार्यो एवं नागरिक सेवाओ को एकीकृत रूप देने के लिए **FMDSS online module** विकसित किया गया है। जिसके अन्तर्गत गैर वन भूमि एवं संरक्षित क्षेत्रो हेतु खनन अनापत्ति प्रमाण पत्र, वन उपज परिवहन हेतु पारपत्र **online** दिये जायेगें।
- धौलपुर जिले के समस्त वन खण्डों को डिजिटाइज किया जाकर उसे गूगल मैप पर अंकित किया जा चुका है।
- रोजगार सृजन एवं जनजाति कल्याण
- राजस्थान वानिकी एवं जैवविविधता परियोजना के अन्तर्गत 213.42 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ।
- जनजाति विकास, उदयपुर द्वारा लघुवन उपज मण्डी स्थापित करने एवं 26 प्रजातियो के लघुवन उपज के टी.पी से मुक्त होने के कारण आदिवासियो की आय में वृद्धि।

वनों से आय

- तेन्दू पत्ता इकाईयों के व्ययन से 9341.60 लाख रूपये एवं अन्य विविध आय से 53.05 लाख रूपये कुल 9394.65 लाख रू0 की आय प्राप्त हुई।
- अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को तेन्दू पत्ता से प्राप्त आय में से 838.66 लाख रूपये एवं बांस से प्राप्त आय में से 300.30 लाख रूपये, कुल 1138.96 लाख रूपये हस्तान्तरित किये गये।
- लकडी विदोहन से 11210.90 लाख रू. की आय।
- बाँस के विदोहन 1423.07 लाख रू. की आय।

जनचेतना संचार

- राज्य में प्रथम बार 10 जुलाई 2017 को राज्य स्तर, जिला स्तर एवं पंचायत समिति स्तर पर वन महोत्सव का आयोजन वृहद पैमाने पर कराया गया।

आधारभूत संरचना विकास

- वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने हेतु 223 भवन तथा 30 वॉच टॉवर एवं 31100 बाउण्ड्री पिलर्स निर्मित।

प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में

भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग कि.मी.
जन संख्या (2011 की जनगणना)	:	6.85 करोड़
वन क्षेत्र		
आलैखित	:	32828.35 वर्ग कि.मी.
आरक्षित वन	:	12352.78 वर्ग कि.मी.
रक्षित वन	:	18408.85 वर्ग कि.मी.
अवर्गीकृत वन	:	2066.74 वर्ग कि.मी.
राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में आलैखित वन	:	9.59%
राष्ट्र के क्षेत्रफल के सदर्भ में आलैखित वन	:	4.28%
प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र	:	0.047 हेक्टर
वनआच्छादन	:	16171 वर्ग कि.मी.
अति सघन वन (छत्रक घनत्व >70%)	:	76 वर्ग कि.मी.
सघन वन (छत्रक घनत्व 40 से 70%)	:	4426 वर्ग कि.मी.
खुले वन (छत्रक घनत्व 10 से 40%)	:	11669 वर्ग कि.मी.
प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वन आच्छादन	:	4.92%
प्रति व्यक्ति वन आच्छादित क्षेत्र	:	0.023 हेक्टर
वृक्ष आच्छादन	:	8269 वर्ग कि.मी.
प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वृक्ष आच्छादन	:	2.41%
वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र	:	24440 वर्ग कि.मी.
प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र	:	7.14%
प्रति व्यक्ति उपलब्धता	:	0.035 हेक्टर

वन्यजीव प्रबन्धन :

राष्ट्रीय उद्यान :

संख्या	:	3
क्षेत्रफल	:	620.78 वर्ग कि.मी.

वन्यजीव अभयारण्य :

संख्या	:	26
क्षेत्रफल	:	10850.15 वर्ग कि.मी.

बाघ परियोजनाएं : 3

विरासत संरक्षित क्षेत्र-रामसर नम भूमि स्थल :
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर
सांभर झील, सांभर, जयपुर

मृग वन :
चितौड़गढ़ दुर्ग मृगवन, चितौड़गढ़
सज्जनगढ़ मृगवन, उदयपुर
कायलाना झील एवं माचिया सफारी पार्क, जोधपुर
संजय उद्यान, शाहपुरा, जयपुर
पुष्कर मृगवन, अजमेर
अशोक विहार मृगवन, जयपुर
अमृतादेवी मृगवन, खेजड़ली, जोधपुर

जैविक उद्यान
सज्जनगढ़, उदयपुर
नाहरगढ़, जयपुर
माचिया, जोधपुर

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विधिता परियोजना फेज-2 जापान इन्टरनेशनल कॉ-आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिलो (सीकर, झुन्झुनू, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर,) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। 8 वर्षीय यह परियोजना 2011-12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ है।

- परियोजना अन्तर्गत कुल 83,500 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया।
- वृक्षारोपण कार्यो का GIS डेटाबेस जीपीएस सर्वे द्वारा तैयार किया जाकर KML फाईल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड।

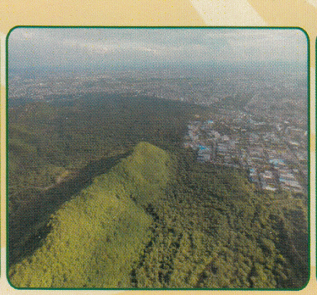
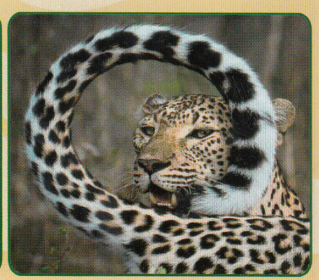

वन विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रकाशित व प्रसारित

www.forest.rajasthan.gov.in